न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर,जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 05.04.2024

प्रकरण संख्या :– 54 / 2023 (2023 / 107)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. उदयराम पिता छोगा गुर्जर
2. कमला पुत्री छोगा गुर्जर
3. नारायणलाल आत्मज किशनलाल गुर्जर
4. पारस आत्मज किशनलाल गुर्जर
5. मांगी पुत्री छोगा गुर्जर
6. मोहनी बाई पत्नि किशनलाल गुर्जर

सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज हीरा गुर्जर
2. नारायणलाल आत्मज लेहरू गुर्जर
3. श्रीमती डाली पुत्री हरलाल बैरवा

सर्व निवासी खातीखेड़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण

उपस्थिति–

अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री जगदीश चन्द्र व्यास
विपक्षीगण संख्या:– 1 लगायत 3 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय **दिनांक:–17.05.2024**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 555 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 11 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.11.22 17:50:07 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन व गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के पश्चात् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 54/2023 (2023/107)
अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खातीखेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 555 रकबा 0.54 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 11 पर दर्ज होकर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो सक्षम न्यायाल में वाद दायर कर चाराजोही करें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा) 2.
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.11.22 17:50:07 IST
Reason: SelfAttested